REET 2025
LEVEL-2
वंदन बैच
POLITY
मूल अधिकार
LIVE
01-01-2024 07:00 PM

मूल अधिकार [Fundamental Rights]

→ भाग - 3

→ अनुच्छेद ⇒ 12 - 35

→ प्रावधान ⇒ USA [संयुक्त राज्य अमेरिका]

* सन 1215 में इंग्लैण्ड के राजा जॉन I द्वारा सबसे पहले मूल अधिकारों का उल्लेख किया

* सबसे पहले अमेरिका के संविधान में अपनाया गया था मूल-अधिकारों को।

* मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे परन्तु वर्तमान संविधान में 6 मूल अधिकार है।

1. समानता का मूल अधिकार [अनु. 14-18]
2. स्वतंत्रता का मूल अधिकार [अनु. 19-22]
3. शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार [अनु. 23-24]
4. धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार [अनु. 25-28]
5. संस्कृति एवं शिक्षा का मूल अधिकार [अनु. 29-30]
6. सम्पत्ति का मूल अधिकार [अनु. 31] **
7. संवैधानिक उपचारों का अधिकार [अनु. 32]

44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत सम्पत्ति के मूल अधिकार को हटा कर अनु. 300A में जोड़कर कानूनी अधिकार बना दिया।

मूल अधिकार	कानूनी अधिकार
① इनका उल्लेख संविधान के केवल भाग 3 में किया गया है।	→ इनका उल्लेख भाग 3 के अलावा अन्य भागो में किया गया है।
② इनमे परिवर्तन करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है।	→ इनमे परिवर्तन संसद साधारण विधी से कर सकती है।
③ इनकी गारन्टी प्रदान की गई है।	→ इनकी कोई गारन्टी नही है।

* केवल भारतीय लोगों को प्राप्त मूल अधिकार

अनु. 15, 16, 19, 29, 30

* मूल अधिकार न्यायलय में प्रवर्तनीय है।
* मूल अधिकार अत्याज्य है।
* मूल अधिकार नकारात्मक है।
* मूल अधिकार वाद योग्य है।

अनु. 12 → राज्य की परिभाषा

ऐसी संस्था/अधिकरण जिनको कानून बनाने का अधिकार है राज्य की श्रेणी में आयेगा

→ संसद तथा केन्द्र सरकार
→ विधानमण्डल तथा राज्य सरकार
→ स्थानीय स्वशासन < पंचायतीराज / नगरीय स्वशासन
→ अन्य संस्थाएं → LIC, ONGC, BHEL

* सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय राज्य की परिभाषा में नही आते है।

अनु. 13 → मूल अधिकारों के संगत विधियाँ :-

13(1) → संविधान पूर्व विधियाँ यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो संविधान लागू होने पर निष्क्रिय (शून्य) हो जायेगी

13(2) राज्य ऐसी कोई विधि नही बनायेगा जो मूल अधिकारों को शुन्य करती है और यदि बना दे तो अल्पीकरण तक शुन्य माना जायेगा

* आच्छादन का सिद्धान्त → ढक देना

* पृथक्करणीयता का सिद्धान्त ⇒

* अधित्याग का सिद्धान्त → USA में लागू
  → भारत में नहीं

* अनु. 13(3) → विधि के अन्तर्गत, आदेश, उपविधि, अधिसूचना, नियम, विनियम, प्रथाएं, रूढ़ीयां व अध्यादेश आते हैं।

भूमी सुधार [Land Reform] अनु. 9 में शामिल किया गया

* प्रथम संविधान संशोधन-1951 के तहत भूमी सुधार व अनु. 31A व अनु 31B जोड़ा गया।

अनु. 31B → 9वी अनुसूची में शामिल विषयो को न्यायलय में चुनौती नही दी जा सकती है।

* [न्यायिक पुनरावलोकन से बचाने के लिए]

* शंकरी प्रसाद केस - 1951 → मूल अधिकारो में संशोधन किया जा सकता है।

* गोलकनाथ केस - 1967 → 11 जजो की बेंच ने 6:5 से फैसला दिया कि मूल अधिकारो में संशोधन नही किया जा सकता